मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 2–2/2010 /सात–एक भोपाल, दिनांक 10 /01/2014

प्रति,

जिला कलेक्टर (समस्त)
मध्यप्रदेश ।

विषयः– राजस्व वसूली काल में वसूली भृत्य (प्रोसेस सर्वरों) की नियुक्ति ।

बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर 1995 वॉल्युम –2 के अनुक्रमांक 18 के अनुसार राजस्व वसूली अवधि (छः माह) के लिये प्रतिवर्ष राजस्व वसूली भृत्य (प्रोसेस सर्वरों) के पद निर्मित करने के लिये अधिकार जिला कलेक्टर को है । राज्य शासन द्वारा मितव्ययिता निर्देशों का शिथिलीकरण करते हुए जिलों में वसूली भृत्य (प्रोसेस सर्वरों) की नियुक्ति दिनांक 01.1.2014 से दिनांक 30.6.2014 तक (छः माह) के लिये वेतनमान रूपये 4440–7440 एवं ग्रेड वेतन 1300–00 तथा देय मंहगाई भत्ता पर करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

2/– यह स्वीकृति महालेखाकार म0प्र0ग्वालियर को पृष्ठांकित की जाती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुमन रायकवार)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,राजस्व विभाग

क्रमांक एफ 2–2/2010 /सात–एक भोपाल, दिनांक 10 /01/2014

प्रतिलिपिः–

1. सचिव,मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग,मंत्रालय,भोपाल ।
2. महालेखाकार ,मध्यप्रदेश,ग्वालियर ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,राजस्व विभाग